न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :— 28 / 2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023 / 997

प्रार्थीगण

शिवदानसिंह पुत्र श्री बागसिंह, जाति राजपूत, निवासी सांवतकुआखुर्द, तहसील बावडी, जिला जोधपुर बहैसियत अध्यक्ष राजपूत समाज बावड़ी खण्ड।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बावडी।
2. कंवराराम पुत्र श्री डूंगरराम, जाति माली, निवासी बावडी, तहसील बावडी, जिला जोधपुर।
3. मंदिर व सराय कमेटी ग्राम बावडी जरिये प्रतिनिधि —

3 / 1 किसनाराम पुत्र श्री मूलाराम, जाति जाट
3 / 2 तेजाराम पुत्र श्री रामूराम, जाति जाट,
3 / 3 प्रहलाद पुत्र श्री मांगीलाल, जाति मेघवाल,
3 / 4 हुकमाराम पुत्र श्री अनाराम, जाति जाट,
सभी निवासीगण ग्राम बावडी, तहसील बावडी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 266 दिनांक 23.10.1986 जो सरपंच ग्राम पंचायत बावडी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :—

1. अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा (अप्रार्थी संख्या 3 / 1 ता 3 / 4)
3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश दिनांक :—06.09.2024

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पट्टा संख्या 266 दिनांक 23.10.1986 जो सरपंच ग्राम पंचायत बावडी द्वारा जारी किया गया गया, को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.24 16:31:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार है कि ग्राम बावड़ी की सरहद में खसरा नम्बर 1560 / 2 रकबा 18 बिस्वा भूमि पर सम्वत 2012 से भी पूर्व से हुकमराज वल्द श्री बदनराज काबिज थे। इस भूमि के बाबत एक प्रकरण जिलाधीश जोधपुर के यहां प्रकरण संख्या 109 / 67 बअनुवानियत हुकमराज बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बावड़ी चला था, जिसमें भी हुकमराज का कब्जा माना था। प्रार्थी राजपूत समाज ने विवादित स्थल को खरीद कर कब्जा हुकमराज से प्राप्त किया था। इस भू–भाग के बाबत एक दीवानी वाद मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ओसियां के न्यायालय में पेश हुआ था जिसको क्षेत्राधिकारिता के कारण सिविल जज कनिष्ठ खण्ड पीपाड़ शहर के न्यायालय में स्वयं अप्रार्थी लादूराम ने प्रस्तुत किया था जो वाद संख्या 09 / 1981 के रूप में दर्ज हुआ था। जिसका निर्णय दिनांक 05.02.1993 को हुआ था। उक्त वाद के साथ दीवानी प्रार्थना पत्र भी स्वयं अप्रार्थी लादूराम ग्वाला पुत्र देवाराम ने प्रस्तुत किया था जो प्रार्थना पत्र संख्या 15 / 1988 के रूप में दर्ज होकर दिनांक 16.12.1992 को निर्णित हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित करते हुए यह आदेश दिया था कि मुतदाबिया भूखण्ड राजपूत समाज ने सार्वजनिक हितार्थ अर्थात अस्पताल एवं धर्मशाला बनाने के लिए क्रय किया था। इस भूखण्ड पर विक्रेता का सम्वत 2012 से कब्जा चला आ रहा है जो रिकॉर्ड से प्रमाणित है। मुतदाबिया भूखण्ड हेतु लगान भी अदा की गई है। इस भूखण्ड पर कब्जा भी राजपूत समाज का है। उक्त आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील या निगरानी किसी भी अपीलीय न्यायालय में नहीं की गई है अर्थात उक्त आदेश को अप्रार्थी लादूराम ग्वाला स्वयं ने एवं ग्राम पंचायत बावड़ी ने स्वीकार किया है। अप्रार्थी लादूराम ग्वाला द्वारा प्रस्तुत वाद में जो खसरा नम्बर अंकित किये थे उसको बाद में खसरा नम्बर में भी परिवर्तन 1559 / 2 की जगह 1560 / 2 चाहा गया था। जिसके बाबत तहसीलदार से भी रिपोर्ट मांगी गई थी जिसमें तहसीलदार भोपालगढ़ ने भी इस भूमि पर राजपूत समाज का कब्जा बताया एवं इस भू–भाग पर तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में पट्टीयों से घिरा हुआ बताया तथा फर्द मौका भी साथ में भेजी गई। तत्पश्चात वादी लादूराम ग्वाला ने वाद को जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के तहत विड्रो कर लिया। उसी दरम्यान इसी भू–भाग के बाबत स्वयं लादूराम ग्वाला ने एक इस्तगासा पुलिस थाना खेड़ापा के समक्ष धारा 145 सीआरपीसी के तहत दिनांक 27.02.1989 को प्रस्तुत किया। जिसमें स्वयं लादूराम ग्वाला ने बहैसियत सरपंच यह कथन किये थे कि खसरा नम्बर 1560 / 2 रकबा 18 बीघा भूमि बावड़ी की आबादी भूमि है जिसकी मालिक पंचायत है। इस भू–भाग पर दिनांक 26.02.89 की रात्रि 1–1.30 बजे मनोहर सिंह तीस–पैतीस आदमियों को लेकर ग्राम पंचायत की भूमि पर नाजायज कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.24 16:31:43 IST
Reason: SelfAttested

कर एक कोने पर कच्ची झोंपड़ी बनाने का प्रयत्न किया। बाद में इस भूमि के बाबत दंगा–फसाद होने की स्थिति पैदा होने लगी तो उक्त भू–भाग को कुर्क कर रिसिवर के कब्जे में सुपुर्द कर दिया है। तात्पर्य यह है कि उक्त भू–भाग पर दिनांक 23.10.1986 को प्रार्थी समाज का कब्जा था अर्थात स्वयं सरपंच लादूराम ग्वाला के कथनों के अनुसार दिनांक 27.02.1989 तक उक्त भूखण्ड के बाबत कोई पट्टे वगैरा जारी किये हुए नहीं थे, अगर पट्टे जारी किये हुए होते तो निश्चित रूप से धारा 145 सीआरपीसी के इस्तगासे में जो दिनांक 27.02.89 को प्रस्तुत हुआ है उसमें पट्टाधारी अपनी ओर से कार्यवाही करते। उक्त भू–भाग पट्टा जारी करने हेतु दिनांक 23.10.86 को किसी भी रूप में खाली नहीं था। उसके बावजूद भी अप्रार्थी लादूराम ग्वाला ने इन तथ्यों की जानकारी होते हुए कि उसने स्वयं ने दीवानी वाद कब्जे के बाबत पेश किया है। तहसीलदार से रिपोर्ट भी मंगवाई है। मौका भी पूर्व में देखा जा चुका है तथा धारा 145 सीआरपीसी के इस्तगासा भी पेश हुआ है उपरोक्त सभी में इस भूखण्ड पर राजपूत समाज का कब्जा बताया है एवं भू–भाग पंचायत के कब्जे में नहीं है। उसके बावजूद भी अपने कार्यालय में बैठकर एवं अपने हितैषी लोगों के अंगुठे व हस्ताक्षर करवाकर पटटों की कार्यवाही करने का प्रयत्न किया एवं अपने कार्यालय में ही बैठकर बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए निगरानीधीन पट्टा अध्यक्ष मंदिर व सराय कमेटी बावड़ी के नाम से जारी करना बता दिया जबकि प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार अध्यक्ष मंदिर व सराय की ओर कागजों में कहीं बोली भी नहीं लगाई गई और न ही मंदिर सराय कमेटी का कोई अस्तित्व है। ऐसी कोई संस्था ही नहीं है उसके बावजूद भी पट्टे जारी करना बता दिया जबकि वास्तविकता में कोई पट्टे जारी ही नहीं किये गये। रूपोसी तरीके से बनावटी कागज तैयार किये गये। जिसमें सरपंच ने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 256 से नियम 262, 265 की कोई पालना नहीं की गई हैं। यहां यह कहना भी न्यायोचित होगा कि पंचायत के समक्ष अध्यक्ष मंदिर व सराय, कमेटी बावड़ी की ओर से किसी प्रकार का कोई आवेदन ही नहीं किया गया था और न ही कोई नक्शा तैयार किया गया एवं किसी प्रकार की आवेदन राशि या नक्शा निवेश हेतु फीस अदा की गई तथा नियम 258 के अनुसार भूमि का कोई निरीक्षण इत्यादि भी नहीं किया गया और न ही कोई निरीक्षण रिपोर्ट बनाई गई तथा नियम 259 के अनुसार कोई अस्थाई निर्णय भी पट्टा जारी करने बाबत नहीं लिया गया एवं नियम 260 जो कि एक आज्ञापक है की भी पालना नहीं की गई। ग्रामवासियों से कोई आपत्तियाँ नहीं मांगी गई और न ही किसी प्रकार का कोई नोटिस सहजगोचर स्थान पर चिपकाया गया एवं भूमि की निलामी की कार्यवाही भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.24 16:31:43 IST
Reason: SelfAttested

रूपोसी तरीके से बताई गई है। किसी प्रकार की बोली गांव में नहीं लगाई गई। जिन लोगों के अंगुष्ठ व कुछ लोगो के हस्ताक्षर जो करवाये गये है वो भी अपने कार्यालय में ही बैठकर करवाये गये है। इस प्रकार विधिक प्रकिया की कोई पालना नहीं की गई है। वैसे भी पटटा केवल खाली भूखण्ड के बाबत ही जारी किया जा सकता है न कि किसी कब्जेधारी वाले भूखण्ड का पट्टा किसी अन्य के नाम से दिया जा सकता है। जहां तक अपीलाधीन पट्टे का सम्बन्ध है उसके बाबत कागजों में तीन दिन लगातार बोली लगाना बताया गया है जिसमें अन्तिम बोली नारायणराम पुत्र श्री सांवलराम जिसको संचालक मंदिर कमेटी बताया गया है, की बतायी गई है जबकि पट्टा संचालक के नाम जारी नहीं किया गया है तथा जो रसीद 10 प्रतिशत राशि की काटी जानी बताई गई है उसकी तारीख इत्यादि भी निलामी फर्द पर नहीं लिखी गई है तथा एक ही व्यक्ति के नाम तीन रसीदें रसीद संख्या 2715 काटी जानी बता रहे है जबकि प्रत्येक भूखण्ड के बाबत अलग से रसीद होनी चाहिए थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो कोई बोली लगाई गई है और न ही किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया अपनाई गई है। रूपोसी तरीके से रसीदें काटनी बता दी गई। भूखण्डवार रसीद में कोई ब्यौरा भी नहीं बताया गया है। जिन व्यक्तियों को बोली लगाना बताया गया है वो सरपंच के निजी व्यक्ति है जो फर्दे बनाई गई है वो भी एक ही तारीख में बैठकर एक ही पेन से बनी हुई है। अगर तारीखवार बोली होती तो निश्चित रूप से फर्द में अन्तिम बोलीदाता के बोली का हवाला देकर आगे की कार्यवाही उसमें लिखी जाती एवं उस बोली से असन्तुष्ठ होने का कारण भी उसमें लिखा जाता। उस कीमत पर भूखण्ड क्यों विक्रय नहीं किया गया, का कोई स्पष्टीकरण फर्द में नहीं बताया गया। भूखण्ड संख्या 51 की बोली दिनांक 4.9.1986 को 280 / – रूपये अन्तिम बोली बताई गई। उस कीमत पर भूखण्ड विक्रय नहीं करने का कारण नहीं बताया। इसी प्रकार 6 भूखण्डों की बोली एक ही तारीख में लगानी बताई गई। जिसके बाबत कोई इस्तहार भी पूर्व में जारी नहीं किया गया एवं अपने मनमाने तरीके से बोली बता दी है। यह है कि विवादग्रस्त भूखण्ड के बाबत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही भी अमल में लाई गई थी। जिसमें उक्त भूखण्ड को कुर्क कर रिसिवर के तेहविल में लिया गया था। जिसमें भी कब्जा राजपूत समाज का अभिनिर्धारित आदेश दिनांक 26.03.1997 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 03 / 87 में किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध एक निगरानी भी प्रस्तुत हुई। जिसको निगरानी संख्या 10 / 1997 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 जोधपुर महानगर द्वारा आदेश दिनांक 24.02.2012 निर्णित करते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुख्यालय जोधपुर द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.24 16:31:43 IST
Reason: SelfAttested

पारित आदेश दिनांक 26.3.1997 को यथावत रखा। जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में भी कार्यवाही निगरानी के रूप में की गई। जिसका भी अन्तिम निर्णय हो चुका है अर्थात विवादित भूखण्ड का कब्जा प्रार्थी समाज का ही माना गया है। ऐसी परिस्थिति में तात्पर्य यह है कि वादग्रस्त भूमि जिसका पट्टा जारी किया गया है वह भूमि पंचायत के कब्जे में वक्त पट्टा जारी करते समय खाली भूमि नहीं थी। सर्वप्रथम तो खाली भूमि नहीं होने के कारण पंचायत को आगे कार्यवाही करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। फिर भी यह मान भी लिया जावे तो भी पंचायत को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा जारी करना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं कर मनमाने तरीके से पट्टे जारी किये है जो काबिले निरस्त है।

पंचायत निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/4 की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा ने वकालतनामा पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से दिनांक 02.12.2015 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर अप्रार्थी लादूराम व अप्रार्थी नारायणराम का नाम पक्षकारान से हटाने का प्रस्तुत किया गया जो प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2015 की आदेशिका के जरिये निस्तारित कर अप्रार्थी लादूराम व अप्रार्थी नारायणराम का नाम पक्षकारान से हटाया गया है। ग्राम पंचायत बावड़ी की ओर से पत्र क्रमांक 2015–16/113 दिनांक 18.09.2015 के साथ मुल अभिलेख पेश किया गया। पट्टो की मिसलो के संबंध में ग्राम पंचायत बावड़ी की ओर से दिनांक 20.04.2017 को पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि इन पट्टो की मिसले ग्राम सेवक को चार्ज हस्तांतरण सुची में प्राप्त नही हुई है सुची के अनुसार ग्राम पंचायत में मिसलें उपलब्ध नही है जिस कारण न्यायालय में पेश किया जाना सम्भव नही है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 07.08.2024 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 06.09.2024 को रखी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निगरानी के तथ्यो को दोहराकर बतलाया कि यह भूमि राजस्व ग्राम बावडी के खसरा नंबर 1560/2 रकबा 18 बिस्वा का भाग है, यह भूमि हुकमराज के नाम सम्वत 2012 से दर्ज थी हुकमराज ने यह भूमि राजपुत समाज को बेचान कर दी थी। इस भूमि के संदर्भ में हुकमराज ने मुकदमा संख्या 109/67 वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर जिसमें कब्जा हुकमराज का माना गया है उसके 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.24 16:31:43 IST
Reason: SelfAttested

वर्ष बाद राजपूत समाज ने हुकमराज से यह भूमि खरीद ली थी फिर लादूराम सरपंच ग्राम पंचायत बावडी ने मुकदमा संख्या 09 / 1981 सिविल न्यायालय ओसिया में वाद पेश किया जो दिनांक 05.02.1993 को जरिये विड्रोल खारिज हुआ। इस भूमि पर दावा के दौरान स्थगन आदेश था और कब्जा सम्वत 2012 से पंचायत के पास नही था तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में राजपुत समाज का कब्जा और पट्टिया रोपी हुई माना था और लादूराम ने दावा विड्रो कर धारा 145 सीआरपीसी के कार्यवाही कर भूमि को कुर्क करवाया, जब कुर्की की कार्यवाही की गई तब ग्राम पंचायत इस भूमि की स्वामी नही थी और कुर्की के पूर्व दिनांक 23.10.1986 को पट्टा जारी किया जाना बताया जाता है, जो अपने आप में अस्वाभाविक कार्य है क्योंकि बिना कब्जे के सरपंच पट्टा जारी नही कर सकता है। मंदिर सराय नाम की कोई पंजीबद्ध संस्था नही है फर्जी तरीके से निलामी बोली बताकर मंदिर सराय के नाम पट्टे जारी किये गये है सरपंच ने कुटरचित दस्तावेज बनाकर निगरानीधीन पट्टे जारी किये है। पट्टा जारी करने से पहले पंचायती राज अधिनियम, 1961 में दिये हुये नियमो की पालना नही की गई। एक ही दिन में एक ही कलम से एक साथ अनेक पट्टे जारी करना स्वाभाविक दर्शित नही होता है, कई पट्टो की तारीख तक अंकित नही है अंतिम बोली 280 रूपये की बताई गई है, बोली रजिस्टर में स्लीप लगाकर काट छांट की हुई है। धारा 145 सीरआरपीसी में दिनांक 26.03.1997 को एसडीओ द्वारा कब्जा राजपुत समाज का होना निर्धारित किया था जिसके विरूद्ध एडीजे जोधपुर में निगरानी संख्या 10 / 97 पेश की जो दिनांक 24.02.2012 को खारिज हो गई है और उसके विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में भी इस कार्यवाही को चुनौती दी वहा पर भी खारिज हुई। निगरानीधीन पट्टे जारी करने की कार्यवाही लादूराम सरपंच द्वारा की गई थी जिसके विरूद्ध अनुसंधानात्मक कार्यवाही की गई जिसमें संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा 6 वर्ष के लिए चुनाव में भाग लेने से निष्कासित कर दिया गया है वास्तविकता में इस जमीन के पट्टे जारी नही किये गये केवल कागजी कार्यवाही हुई है। अंत में निगरानी स्वीकार कर पट्टा निरस्त करने की प्रार्थना की और अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2022 RDJ पेज 263, 2018 (4) WLC (राजस्थान) 187, 2015 पार्ट 2 DNJ राजस्थान पेज 595, 2013 पार्ट थर्ड PLC पेज 494 पेश किये।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 30.01.2018 को पेश बहस के बिंदु को दोहराते हुए बतलाया किया कि खसरा नंबर 1560 / 2 रकबा 18 बिस्वा भूमि किसी भी काल अवधि में किसी भी निजी व्यक्ति के नाम दर्ज नही रहा है, यह रकबा राज था और यह भूमि जोधपुर नागौर हाईवे पर स्थित है इस भूमि [illegible]लान्तर में आबादी में परिवर्तित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.24 16:31:43 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम पंचायत के नाम दर्ज की गई। इस भूमि पर अस्थाई रूप से कामघर और घुमक्कड़ व्यक्तियो का आश्रय था इस कारण उक्त भूमि का मंदिर सराय के नाम से पट्टा जारी किया गया। भूमि कीमती होने से इस पर अतिक्रमियो द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश की और शांतिभंग होने की संभावना को देखते हुए इस भूमि पर धारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही कर कब्जा रिसीवर लिया गया था। मंदिर सराय कमेटी की ओर से अपने हितो की रक्षा हेतु जिला न्यायाधीश जोधपुर के समक्ष 29.02.2012 को वाद दर्ज करवाया था जो अभी भी विचाराधीन है और उस वाद में दिनांक 05.10.2012 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। खसरा नंबर 1560 / 2 रकबा 18 बिस्वा शुरूवात से ही रकबा राज होने से हुकमराज को यह भूमि हस्तांतरण करने का हक अधिकार नही था न ही ऐसा कोई हस्तांतरण का दस्तावेज राजपूत समाज के नाम से है अप्रार्थीगण ने अपने तर्क में कहा कि धारा 97 निगरानी प्रस्तुत करने का निगरानीकर्ता को कोई अधिकार नही है क्योंकि निगरानी राजहित, जनहित में की जाती है अपने हितो के लिए केवल दीवानी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है और निगरानी 26 वर्ष बाद पेश की गई जो अत्यंत देरीना है जिस बाबत कोई भी कारण निगरानीकर्ता ने नही बताया है और निगरानीधीन पट्टो की भूमि में से अधिकांश हिस्सा हाईवे में जा चुका है। पट्टे की मिसलो का रिकॉर्ड जिला परिषद जोधपुर द्वारा जांच के दौरान तलब की गई थी जो आज भी जिला परिषद कार्यलय में है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2002 (1) पेज 434 एवं RRT 2015 (2) पेज 967 पेश किये।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। निगरानीधीन पट्टा दिनांक 23.10.1986 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा जिला परिषद जोधपुर द्वारा जारी की हुई पेश की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा सन् 1981 में न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ओसिया के समक्ष प्रस्तुत वाद की फोटोप्रति और वाद दिनांक 05.02.1993 को ग्राम पंचायत के प्रार्थना पत्र पर वाद को जरिये विड्रोल 1 माह में नया वाद पेश करने के निर्देश के साथ निस्तारित किया हुआ है एवं धारा 145 सीआरपीसी के तहत की गई कार्यवाही में थानाधिकारी पुलिस थाना खेडापा द्वारा 1560 / 2 की जमीन को कुर्क किये जाने कि प्रार्थना की जिसकी फोटोप्रति पेश की गई है। मौका फर्द दिनांक 20.01.1993 की फोटोप्रति पेश की गई जिसमें खसरा नंबर 1560 / 2 व 804 की सीमा से अवगत करवाना लिखा हुआ है। सहायक अभियंता (सीडी) जिला परिषद जोधपुर की जांच रिपोर्ट पेश की गई। तत्कालीन सरपंच लादुराम के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्त[illegible]ा था की फोटोप्रति पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.24 16:31:43 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी की ओर से अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3, जोधपुर महानगर में विचाराधीन वाद में प्रार्थना पत्र संख्या 64 / 2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है जिसमे अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3, जोधपुर महानगर द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है, मंदिर सराय की ओर से पेश दीवानी वाद की प्रति पेश की गई है। ग्राम पंचायत बावडी ने अपने पत्र क्रमांक 715 दिनांक 13.11.2019 का पत्र प्रस्तुत कर पट्टा संख्या 264, 265, 266, 267, 268 व 269 पट्टा मिसल इस कार्यालय में रिकॉर्ड व चार्ज हस्तांतरण सुची में इस ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही होना लिखा गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि उक्त जमीन सैटलमेन्ट के समय हुकमराज वल्द श्री बदनराज या उसके पूर्वज के नाम दर्ज थी। पत्रावली के अवलोकन व अधिवक्ताओ के तर्क से यह पाया जाता है कि दोनों पक्षो के बीच में मालिकाना हक को लेकर दीवानी वाद विचाराधीन है और न्यायालय श्री अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3, जोधपुर महानगर से इस संपति को लेकर स्थगन आदेश पारित है इस स्तर पर निगरानी का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित नही समझते है। अतः प्रस्तुत पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। दीवानी वाद के निस्तारण के पश्चात इन पट्टो को पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनौती दिया जाना आवश्यक होने पर पट्टो के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना–पत्र नये सिरे से पुनः प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी स्वतंत्र रहेगा। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 06.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.24 16:31:43 IST
Reason: SelfAttested